शीर्षप्राथमिकता/समयबद्ध

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव
राजस्व परिषद उ0प्र0
लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी
   उत्तर प्रदेश।

संख्याः R-631/17A/2017 दिनांक- 09 मार्च 2017

विषय– **प्रदेश के समस्त राजस्व ग्रामों में अवस्थित भूखण्डों (गाटों) हेतु यूनीक कोड निर्धारण एवं वादग्रस्त भूखण्डों (गाटों) का राजस्व न्यायालय कम्प्युटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली में अंकन किया जाना ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में परिषद स्तर पर निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के समस्त राजस्व ग्रामों में अवस्थित समस्त भूखण्डों (गाटों) हेतु यूनीक कोड का निर्धारण किया जाय और विवादित भूखण्डों (गाटों) का राजस्व न्यायालय कम्प्युटरीकृत प्रबन्ध प्रणाली (आर0सी0सी0एम0एस) में अनिवार्य रूप से अंकन किया जाय, ताकि जनसामान्य/वादकारियों/अधिवक्ताओं को किसी भी भूखण्ड के वादग्रस्त होने अथवा न होने के सम्बन्ध में सुगमतापूर्वक जानकारी प्राप्त हो सके।

2. इस सम्बन्ध में प्रदेश के प्रत्येक राजस्व ग्राम के प्रत्येक भूखण्ड (गाटा) के लिये सोलह (16) अंकों वाले यूनीक कोड का निम्नवत् निर्धारण किया गया है :–

(I) यूनीक कोड के प्रथम 6 अंक – राजस्व ग्राम का 6 अंक का जनगणना कोड।

(II) यूनीक कोड के अंक 7 से 10 – भूखण्ड की गाटा संख्या।

(III) यूनीक कोड के अंक 11 से 14 – भूखण्ड के मिनजुमला, विभाजन आदि (बटा नम्बर अथवा क, ख, ग अथवा अ, ब, स आदि) की प्रास्थिति (उदाहरण **संलग्नक–1** के अनुसार)।

(IV) यूनीक कोड के अंक 15 व 16 – भूखण्ड की भूमि की श्रेणी/वर्गीकरण (आबादी, भूमिधरी, तालाब, परती, बंजर आदि) की प्रास्थिति (विवरण **संलग्नक–2** के अनुसार)।

इस प्रकार प्रदेश के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक भूखण्ड (गाटा) के लिए सोलह अंको वाला एक यूनीक कोड निम्नवत् प्रदर्शित होगा :–

– – – – – –	– – – –	– – – –	– –
राजस्व ग्राम कोड	गाटा संख्या कोड	गाटा विभाजन कोड	भूमि श्रेणी कोड

उपर्युक्त प्रकार से प्रत्येक राजस्व ग्राम के प्रत्येक भूखण्ड (गाटे) के लिए निर्धारित यूनीक कोड को परिषद की भूलेख बेवसाइट http://upbhulekh.gov.in पर देखा जा सकता है, जिसको देखने की प्रकिया **संलग्नक–3** में दी गयी है।

3. जनसामान्य/वादकारियों/अधिवक्ताओं को किसी भी भूखण्ड के वादग्रस्त होने अथवा न होने के सम्बन्ध में सुगमतापूर्वक जानकारी उपलब्ध कराने के लिये परिषद स्तर पर यह भी निर्णय लिया गया है कि **प्रदेश के समस्त राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन वादों में वादग्रस्त भूखण्डों (गाटों) को राजस्व न्यायालय कम्प्युटरीकृत प्रबन्ध प्रणाली (आर0सी0सी0एम0एस) में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाये।**

अतः इस सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश दिये जाते है :–

3.1 प्रदेश के समस्त राजस्व न्यायालयों में पूर्व से विचाराधीन मूल वादों, जहां वादग्रस्त भूखण्डों (गाटों) का विवरण राजस्व न्यायालय कम्प्युटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली में अंकित नहीं है, में सभी पीठासीन अधिकारियों द्वारा 15 मार्च 2017 से 30 अप्रैल 2017 तक अभियान चलाकर सम्बन्धित पेशकार/अहलमद/सरिश्तेदार/मण्डलीय सहायक द्वारा वाद में अंतर्ग्रस्त विवादित भूखण्डों (गाटों) का विवरण, सम्बन्धित मूल वाद की पत्रावली का परीक्षण कर, राजस्व न्यायालय कम्प्युटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली में दर्ज कराया जाये।

3.2 अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन वादों, जिनमें मूल वाद पत्रावली सम्बन्धित अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन न्यायालय में उपलब्ध है, में अंतर्ग्रस्त विवादित भूखण्डों (गाटों) का विवरण सम्बन्धित न्यायालय के पेशकार/अहलमद/सरिश्तेदार/मण्डलीय सहायक द्वारा अभियान अवधि (15 मार्च 2017 से 30 अप्रैल 2017 तक) के दौरान राजस्व न्यायालय कम्प्युटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली में अवश्य दर्ज कर लिया जाये।

3.3 अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन के वादों, जिनमें मूल वाद पत्रावली न्यायालय में उपलब्ध नहीं है, वहाँ अवर न्यायालय अथवा अभिलेखागार से मूल वाद पत्रावली प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर सम्बन्धित अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन न्यायालय के पेशकार/अहलमद/सरिश्तेदार /मण्डलीय सहायक द्वारा वादग्रस्त भूखण्डों (गाटों) का विवरण राजस्व न्यायालय कम्प्युटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली में अवश्य अंकित कर लिया जाये।

3.4 इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि वादग्रस्त भूखण्डों (गाटों) का विवरण मूल वाद पत्रावली में दिये गये विवरण से सावधानीपूर्वक मिलान करने के पश्चात् ही राजस्व न्यायालय कम्प्युटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली में अंकित किया जाये। सभी सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके न्यायालय में विचाराधीन सभी वादों में वादग्रस्त भूखण्डों (गाटों) का विवरण राजस्व न्यायालय कम्प्युटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली में सही–सही दर्ज कर लिया गया है।

3.5 परिषद स्तर पर निबन्धक लखनऊ व निबन्धक इलाहाबाद यह सुनिश्चित करेंगे कि परिषद न्यायालयों में सभी मण्डलीय सहायकों द्वारा विचाराधीन सभी वादों में वादग्रस्त भूखण्डों का विवरण राजस्व न्यायालय कम्प्युटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली पर अभियान अवधि के दौरान अवश्य दर्ज कर लिया जाये ताकि जनसामान्य को राजस्व वादों में अंतर्ग्रस्त विवादित भूखण्डों के सम्बन्ध में अध्यावधिक सूचना उपलब्ध हो सके।

3.6 राजस्व न्यायालय कम्प्युटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली में विवादित भूखण्डों (गाटों) का विवरण भरने की प्रक्रिया का विवरण संलग्नक–4 में उल्लिखित है।

4. सूच्य है कि अभियान अवधि की समाप्ति (दिनांक 01 मई 2017) के उपरान्त राजस्व न्यायालय कम्प्युटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली में वाद की अगली तिथि की प्रविष्टि तभी की जा सकेगी जबकि विवादित भूखण्डों (गाटों) का विवरण राजस्व न्यायालय कम्प्युटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली में अंकित कर दिया गया हो।

5. अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें व सभी पीठासीन अधिकारी अपने अधीनस्थ पेशकार/अहलमद/सरिश्तेदार/मण्डलीय सहायक को यथोचित मार्गदर्शन प्रदान करते हुये सुनिश्चित करायें कि समस्त राजस्व न्यायालयों में वादग्रस्त भूखण्डों का विवरण राजस्व न्यायालय कम्प्युटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली में अवश्य कर लिया जाये।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(धीरज साहू)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त निजी सचिव, मा0 सदस्य (प्रशासनिक/न्यायिक), राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ/इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव (राजस्व), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. निबन्धक, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ व इलाहाबाद।
5. समस्त पीठासीन अधिकारी (राजस्व न्यायालय) – द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी।

(धीरज साहू)
आयुक्त एवं सचिव।

उदाहरण–

संलग्नक–1

गाटा विभाजन कोड

गाटा सं0	यूनीक कोड का 7वें से 14वां स्थान	अभ्युक्ति
102	01020000	
1176	11760000	
1176 / 12	11761012	
1176 / 102	11761102	
1176मि0 1176मि0 1176मि0	11762001 11762002 11762003	गाटा सं0 1176 के जितने मिनजुमला नम्बर हैं, उतनी संख्या तक 12वें से 14वें स्थान पर अंक भरे जायेंगे। इस प्रकार किसी गाटे के 999 मि0 नम्बर भरे जा सकते हैं।
1176 अ 1176 ब 1176 स 1176 द . . .	11762001 11762002 11762003 11762004 . . .	
1176 क 1176 ख 1176 ग 1176 घ . . .	11762001 11762002 11762003 11762004 . . .	
1176.	11769000	

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त